संख्या-318 /2025/157 के-2/22-3-2025-17(302)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 21 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हरिपाल सिंह उर्फ बैजनाथ पुत्र श्री जीवालाल, निवासी जनपद-कन्नौज की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3591/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025), दिनांक-28 जनवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हरिपाल सिंह उर्फ बैजनाथ पुत्र श्री जीवालाल, जो कलकतापुर्वा, थाना-तालग्राम, जनपद-कन्नौज का निवासी है। दिनांक 14.01.1995 को बन्दी ने शारदा देवी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा चाकू से दोनों ऑखें फोड़ दी व उसके कुण्डल छीन लिये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-09/1995 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-376, 392, 326 में मा0 अपर जिला जज/द्रुतगामी कोर्ट संख्या-02, कन्नौज के आदेश दिनांक 08.06.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से रिहा होने पर शान्ति व्यवस्था भंग होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 14.01.1995 को बन्दी ने शारदा देवी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा चाकू से दोनों ऑखें फोड़ दी व उसके कुण्डल छीन लिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हरिपाल सिंह उर्फ बैजनाथ पुत्र श्री जीवालाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हरिपाल सिंह उर्फ बैजनाथ (बंदी संख्या-20405) पुत्र श्री जीवालाल, निवासी जनपद-कन्नौज के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-318/2025/157 के-2/22-3-2025-17(302)/2025

दिनांक 21 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हरिपाल सिंह उर्फ बैजनाथ पुत्र श्री जीवालाल, जो कलकतापुर्वा, थाना-तालग्राम, जनपद-कन्नौज का निवासी है। दिनांक 14.01.1995 को बन्दी ने शारदा देवी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा चाकू से दोनों ऑखें फोड़ दी व उसके कुण्डल छीन लिये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-09/1995 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-376, 392, 326 में मा0 अपर जिला जज/द्रुतगामी कोर्ट संख्या-02, कन्नौज के आदेश दिनांक 08.06.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से रिहा होने पर शान्ति व्यवस्था भंग होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 14.01.1995 को बन्दी ने शारदा देवी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा चाकू से दोनों ऑखें फोड़ दी व उसके कुण्डल छीन लिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हरिपाल सिंह उर्फ बैजनाथ पुत्र श्री जीवालाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।